न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 304/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

विनोद कुमार दत्तक पुत्र मदन जाति अहीर निवासी डांगरवाडा तहसीसल व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी छावनी पारसी मौहल्ला खजान जी की बगीची मकान नम्बर 225/5 इन्दोर (मध्यप्रदेश)

.....अपीलान्टस

बनाम

1. शांतिबाई पत्नि रामचन्द जाति अहीर निवासी कुम्हार छाबडी मकान नम्बर –5 सदाशिव वकील का मकान इन्दोर (मध्यप्रदेश)
2. फूलाबाई पत्नि रमेशचन्द जाति अहीर निवासी बगरेड तहसील बडनगर जिला उज्जैन(मध्यप्रदेश)
3. काना पुत्र धन्ना जाति अहीर निवासी डांगरवाडा हाल निवासी दुर्गा नगर कौलोनी पालदा नाका इन्दोर (मध्यप्रदेश)
4. रामकरण पुत्र धन्ना जाति अहीर निवासी डांगरवाडा हाल निवासी दुर्गा नगर कौलोनी पालदाना का इन्दोर (मध्यप्रदेश)
5. सरपंच ग्राम पंचायत डांगरवाडा तहसील सवाई माधोपुर (राजस्थान)
6. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर (राजस्थान)

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.1.2013 उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर व मुकदमा उनवानी शांतिबाई बनाम विनोद बगैरह मु0नं0 7/11/16/05 अपील नामा0 संख्या 203 दिनांक 23.3.1975 वाकै ग्राम डांगरवाडा तहसीलसवाई माधोपुर (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री राजेन्द्रसिंह वकील रैस्पोडेन्ट।
3. श्री आविद अली वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 30.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.1.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि

इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से उनके यहां प्रस्तुत निगरानी संख्या 8965/2009 व 8981/2009 में पारित निर्णय दिनांक 4.5.2011 की पालना में तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पुनः उभयपक्षकारान की सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें पन्ना के स्थान पर पन्ना की आराजीयात के लिये उसकी दोनों पुत्रीयों के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही के निर्देश तहसीलदार को दिये गये है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 129 तस्दीक दिनांक 5.8.2004 से 30 वर्ष पूर्व नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 23.3.1975 को मजमे आम में मृतक पन्ना के स्थान पर मदन दत्तक पुत्र पन्ना के नाम से तस्दीक किया गया था एवं मदन की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 5.8.2004 को तस्दीक किया गया था। नामान्तरकरण संख्या 129 की निगरानी पूर्व में राजस्व मण्डल अजमेर में मु0नं0 8965/09 एवं मु0नं0 8981/09 विनोद बनाम शांतिबाई के नाम से विचाराधीन थी जिसका निर्णय दिनांक 4.5.2011 को मण्डल द्वारा किया गया निर्णयानुसार दोनो निगरानी आंशिक स्वीकार कर हर दो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 15.10.07 एसडीओ सवाई माधोपुर एवं 12.10.09 एडीसी भरतपुर निरस्त किये गये तथा उपखण्डाधिकारी सवाई माधोपुर को उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। तहत अदालत ने मात्र विवादित नामा0 129 के बारे में ही निर्णय पारित किया है जबकि नामा0 203 के बारे में किसी तरह का आदेश भी पारित नहीं किया है। जबकि विचाराधीन दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ होना आवश्यक था। मृतक मदन ने दिनांक 4.9.2003 को अपीलान्ट को गांव में गोद लिया था जिसकी लिखापढी 100/—रू0 के स्टाम्प पर की गई थी। ग्राम पंचायत की पत्रावली भी तलब नहीं की गई। न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया जो न्याय के प्राकृति सिद्यान्तों के विपरीत भी है। जो कतई न्याय संगत नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरेअपील दिनांक 29.1.2013 न्यायालय उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 23.3.1975 एवं नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 5.8.2004 यथावत रखे जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.5.2011 की पालना में तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा मण्डल के निर्णय की मंशा के अनुरूप विधिवत उभयपक्षकारान की सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें पन्ना के स्थान पर पन्ना की आराजीयात के लिये उसकी दोनों पुत्रीयों के नाम

Web Copy - Not Official

नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही के निर्देश तहसीलदार को दिये गये है । अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष भी यह विरोध नहीं किया है कि रैस्पोडेन्टस पन्ना की पुत्रीयां नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 203 जो पन्ना के मरने के बाद खोला गया है उसमें मदन को पन्ना का गोद पुत्र मानकर नामान्तरकरण खोला है। गोद पुत्र के संबध में अपीलान्ट की ओर से किसी प्रकार का कोई गोदनामा पत्रावली में पेश नहीं किया है। जबकि पन्ना की विधिक वारिसान उसकी पुत्रीयां रैस्पो0 संख्या 1 व 2 है। अतः नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 23.3.1975 विधि अनुरूप न होने के कारण खारिज किया गया है जो न्याय संगत है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है । अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2013 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि मृतक पन्ना की विधिक वारिसान रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 है और अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष भी यह विरोध नहीं किया है कि रैस्पोडेन्टस पन्ना की पुत्रीयां नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट जिस कथित गोदनामा का जिक्र करते है वह आस्तित्व में है या नहीं उसकी प्रमाणिकता या अप्रमाणिकता पर विवेचना/परीक्षण करना राजस्व अदालत/ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे है। विभिन्न माननीय न्यायालयों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोदनामा, उत्तराधिकार के जैसे जटिल बिन्दुओं का विनिश्चय करना सम्भव नही है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। नामान्तरकरण की प्रकिया एक सरसरी प्रोसिंडिग है जिससे हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते। लिहाजा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा हायर अदालत (माननीय रा0म0अजमेर) के निर्देशों की पालना में बाद विधिक न्यायिक प्रकियाओं की पूर्ति उपरान्त अपीलाधीन आदेश मृतक पन्ना के विधिक वारिसानों के संदर्भ में पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यह अपील खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यह अपील खारिज की जाती है तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official